न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 50/2022

अनवान :

1. अजय कुमार पुत्र रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
2. संजय कुमार पुत्र रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. रघुवीरसिंह पुत्र हरपतराम उर्फ हरपतसिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
2. अन्जुदेवी पुत्री रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
3. अलका कुमारी पुत्री रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता सं 101/99 के खसरा सं 232/2 की 4.8050है0, खसरा सं 232/3 की 9.7000है0 कुल खसरा 2 की 14.5050 है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 1 रघुवीरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज में से प्रतिवादी सं0 रघुवीरसिंह अकेले के बजाय वादीगण सं 1 अजय कुमार, वादीगण सं0 2 संजय कुमार को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रघुवीरसिंह को 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी सं0 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 50/2022

अनवान :

1. अजय कुमार पुत्र रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
2. संजय कुमार पुत्र रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।

:– **वादीगण**

ब ना म

1. रघुवीरसिंह पुत्र हरपतराम उर्फ हरपतसिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
2. अन्जुदेवी पुत्री रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
3. अलका कुमारी पुत्री रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : इस्तकरार हक बाबत।

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : **वादी**

वकील श्री राममूर्ति ताखर : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 30.03.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा आसन के खाता सं 101/99 के खसरा सं 232/2 की 4.8050है0, खसरा सं 232/3 की 9.7000है0 कुल खसरा 2 की 14.5050 है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 1 रघुवीरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं0 1 के पिता हरपतराम उर्फ हरपतसिंह की खातेदारी हुआ करती थी। हरपतराम उर्फ हरपतसिंह के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रघुवीरसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे काश्तकारी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही वनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में अजय कुमार पुत्र रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी आसन के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमावंदी ग्राम आसन प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ–पत्र प्रदर्श 2, जमाबंदी आसन की पैतृक कषि भूमि प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीकी दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पडता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम आसन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद दायर किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 2 में वारिस प्रमाण पत्र में दो पुत्र अजय कुमार व संजय कुमार व दो पुत्री अल्का व अन्जुरानी के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा आसन के खाता सं 101/99 के खसरा सं 232/2 की 4.8050है0, खसरा स 232/3 की 9.7000है0 कुल खसरा 2 की 14.5050 है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 1 रघुवीरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज में से वादीगण को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 को 1/3 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जावे। चूंकि प्रतिवादी सं 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अत : वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता स 101/99 के खसरा स 232/2 की 4.8050है0, खसरा सं 232/3 की 9.7000है0 कुल खसरा 2 की 14.5050 है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 1 रघुवीरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज में से प्रतिवादी सं0 रघुवीरसिंह अकेले के बजाय वादीगण सं 1 अजय कुमार, वादीगण स0 2 संजय कुमार को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रघुवीरसिंह को 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी स0 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner